



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1971/आसाढ़ 19, 1893

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1971/ASADHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II -Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th June 1971

G.S.R. 999.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Hindi Translator, Grade I (Ministry of Home Affairs) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Hindi Translator Grade I (Ministry of Home Affairs) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2589)

परन्तु, यदि वहन किया जाने वाला विस्फोटक पदार्थ अनन्यतः वर्ग 2 का है तो ऐसी मात्रा 15,000 कि.ग्रा.म या ध्वज की वहनधारिता के 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।”

[सं० 11/19/71-एन० सी० एन० II]

म० सुब्रह्मन्यम, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th June 1971

G.S.R. 1013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Class I Engineering posts) Recruitment Rules, 1971.

(1) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 2 of the Schedule to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3, 4 and 5 of the said Schedule.

4. Methods of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment of the posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

Sl. No.	Name of post-	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post-	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of Promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chief Engineer	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 2000-125-2250	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2	Additional Chief Engineer	2	Do.	Rs. 1800-100-2000	Do.	Do.	Do.	Do.
3	Deputy Chief Engineer	11	Do.	Rs. 1600-100-1800	Do.	Do.	Do.	Do.
4	Senior Engineer	41	Do.	Rs. 1300-60-1600	Do.	Do.	Do.	Do.
5	Station Engineer	120	Do.	Rs. 700-40-1100-50/2-1250	Do.	Do.	Do.	Do.

DULE

Period of promotion, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Two years	By Promotion.	<i>Promotion :</i> Additional Chief Engineer.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations), 1958.
Do.	Do.	<i>Promotion :</i> Deputy Chief Engineer with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.	Do.	<i>Promotion :</i> Senior Engineer with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.]	Do.]	<i>Promotion :</i> Station Engineer with 7 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.	Do.	<i>Promotion :</i> Assistant Station Engineer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.

[No. 20/2/57-BA/BD.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1971

जी० एस० आर० 1013—संसिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:**— (1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी इजी यरी पद) भर्ती नियमवाली, 1971 कहा जा सकेगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना:**—ये नियम इस नियमवाली से संलग्न परिशिष्ट के कालम 2 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इनसे संबंधित वेतनमान उक्त परिशिष्ट के कालम 3 से 5 तथा में दिए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:**—पदों की भर्ती पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त परिशिष्ट के कालम 6 से 14 तक में दिए अनुसार होंगे।
5. **अर्हताएं:**—
(क) जिसने ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के हाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करार का करार किया हो।

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उसपर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किए जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने का अधिकार:**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

परिशिष्ट

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवर्णन पद या अप्रवर्णन पद
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य इंजीनियर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी— एक राजपक्षित	2,000-125— 2,250 रुपए	प्रवर्णन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिबीजा की अवधि यदि कोई हो
----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती किए जाने के लिए वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
---	---

11

12

पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति :

अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर

यदि विभागीय पब्लिकिटी समिति विद्यमान है
तो उसका गठन क्या है

किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक
सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है

13

14

श्रेणी-1 विभागीय पब्लिकिटी समिति

जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से
छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
2.	अतिरिक्त मुख्य इंजी- नियर	2	सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी एक राजपत्रित	1800-100-	2,000 रुपए
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	लागू नहीं होता
					दो वर्ष
		11		12	
		पदोन्नति द्वारा		पदोन्नति :	
					उप मुख्य इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 2 वर्ष की सेवा हो।
		13		14	
		श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति			जसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छठ) विनियम, 1958 क अर्पणगत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
3.	उप मुख्य इंजीनियर	11	सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी-एक राजपदित	1,600-100- 1,800 रुपए	”
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष		
11	12				
पदोन्नतिद्वारा	पदोन्नति				
				सीनियर इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 2 वर्ष की सेवा हो।	
13	14				
श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति				जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परापूर्व स छट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अर्पित है।	

1	2	3	4	5	6
4.	सीनियर इंजीनियर	41	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी—एक राजपत्रित	1,300-60— 1,600 रुपए	
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	10 दो वर्ष
11	पदोन्नति द्वारा	12	पदोन्नति :		
			केन्द्र इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 7 वर्ष की की सेवा हो।		
		13	14		
	श्रेणी—: विभागीय पदोन्नति समिति		जैसा कि सच लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।		

1	2	3	4	5	6
5.	केन्द्र इंजीनियर	120	सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी-एक राजपदित	700-40-1100 -50/2- 1,250 रुपए	„

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : सहायक केन्द्र इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 5 वर्ष की सेवा हो।

13	14
श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परासर्ज से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[संख्या 20 (2) / 67-बी० ए०/बी०डी०]

आर० बालकृष्णन्, उप सचिव।